

कार्यालय: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।

पत्रांक: दंगोस० / अंग्रेजी मात्रा / प्रामान्यता / ३६५४-६१

/ 2022-23 दिनांक: ०८/०८/२२

प्रबन्धक,

उडान इंटर नेशनल स्कूल केशरपुर,
विकास क्षेत्र-विथरी चैनपुर, बरेली।

विषय:- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए स्थायी मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं उडान इंटर नेशनल स्कूल केशरपुर, विकास क्षेत्र विथरी चैनपुर को दिनांक 08-06-2022 से कक्षा एक से कक्षा-पाँच तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए औपबन्धित स्थायी मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठ के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) एवं धारा 12(1)(g) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित प्राविधान सुनिश्चित करेगा:-

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकाधित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकाधित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापन अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समूचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखना। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल —

कुल निर्मित क्षेत्र —

कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल —

✓

अध्यक्ष/प्रबन्धक
उडान इंटरनेशनल स्कूल
केसरपुर, बरेली

क्षाओं की संख्या —

प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह भंडारगृह के लिए कक्ष —
बालक और बालिकाओं के लिए प्रथक—प्रथक शौचालय —
पेयजल सुविधा —

मिड—डे मील पकाने के लिए रसोई —
बाधारहित पहुँच —

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करण/पुस्तकालय की उपलब्धता —

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा रथल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।


14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक 01 / 08.06.2022 तथा ऑनलाइन स्थायी मान्यता संख्या .0...0 है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने में लिए जारी किए जाएं।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय प्रबन्धक द्वारा जो पत्राजात/प्रमाण—पंत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न हर प्रेषित किए गए हैं अथवा प्रबन्धक द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उनमें भविष्य में कोई त्रुटि अथवा असत्यता नहीं हो सकती।

संलग्नक:—ऑनलाइन स्थायी मान्यता आदेश की प्रति


(विनय कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बरेली।

/2022-23 तददिनोंक

०३०:९०३०/अंग्रेजी मा०/प्रा०मान्यता/

तिलिपि: निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र० लखनऊ।
- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद।
- सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), बरेली मण्डल—बरेली।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी, बरेली।
- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बरेली।
- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बरेली।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी, बिथरी चैनपुर—बरेली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बरेली।


अध्यक्ष/प्रबन्धक

उड़ान इंटरनेशनल स्कूल
केसरपुर, बरेली

कार्यालय: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।

पत्रांक: व0स0-3 / मान्यता / 3226-33 / 2022-23 दिनांक: 31/05/2022

प्रबन्धक,

उड़ान इंटरनेशनल स्कूल, (अंग्रेजी माध्यम)

केसरपुर विधानपुर-बरेली।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं उड़ान इंटरनेशनल स्कूल, केसरपुर विधानपुर-बरेली को मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक- 31.05.2022 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में ऑनलाइन मान्यता पत्रक में अंकित तिथि से कक्षा छ: से कक्षा आठ तक (अंग्रेजी माध्यम) दिनांक- 31.03.2022 से स्थायी मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन हैं:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं हैं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठ के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।
5. सांसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित प्राविधान सुनिश्चित करेगा:-
 - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई वोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकाधित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (vii) अध्यापन अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखना। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल —

कुल निर्मित क्षेत्र —

8

विद्यालय का विनियम

अध्यक्ष/प्रबन्धक
उड़ान इंटरनेशनल स्कूल
केसरपुर, बरेली

कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल ——

कक्षाओं की संख्या ——

प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह भंडारगृह के लिए कक्ष ——

बालक और बालिकाओं के लिए प्रथक—प्रथक शौचालय ——

पेयजल सुविधा ——

मिड—डे मील पकाने के लिए रसोई ——

बाधारहित पहुँच ——

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्कर्ण/पुस्तकालय की उपलब्धता ——

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आबंटित ऑनलाइन मान्यता संख्या 3/30141 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय प्रबन्धक द्वारा जो पत्राजात/प्रमाण—पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किए गए हैं अथवा प्रबन्धक द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उनमें भविष्य में कोई त्रुटि अथवा असत्यता पाए जाने पर विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।


(विनय कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बरेली।

पृ0सं0: व0स0—3 / मान्यता /

/2022-23 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1— शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।

2— सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3— सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), बरेली मण्डल—बरेली।

4— जिला समाज कल्याण अधिकारी, बरेली।

5— जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बरेली।

6— जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बरेली।

7— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, बरेली।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बरेली।

अध्यक्ष/प्रबन्धक
उड़ान इंटरनेशनल स्कूल
केसरपुर, बरेली



**Office of the District Basic Education Officer
BAREILLY**

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

- This is to certify that **Udaan International School,Kesarpur Block Bithri Chainpur Bareilly** is permanently recognized for Primary(class 1 to 5).The Recognition number allotted to Udaan International School is **0 0**.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

08-06-2022(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4.School Type

Pre-Primary School and Primary School

5.Recognition No.

..0....0

DATE:- 08-06-2022

PLACE:- BAREILLY

District Basic Education Officer
Signature valid
Digitally signed by [Redacted]
Date: 2024-06-08 15:23:59
Reason: For Digital Signature
Location: BAREILLY

अध्यक्ष/प्रबन्धक
उडान इंटरनेशनल स्कूल
केसरपुर, बरेली

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in